

प्रेस नोट दिनांक 02-09-2020 थाना खजनी जनपद गोरखपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी महोदय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री मृत्युन्जय राय के नेतृत्व में उ०नि० अनीश कुमार मय हमराह का० संजय सिंह का० अजय कुमार सिंह का० कृष्ण कुमार गौड में क्षेत्र में मामूर होकर देखभाल क्षेत्र, पेण्डिंग विवेचना तलाश वाछित, सदिग्ध अपराधी में ग्राम बसहियावारी तिराहे पर मौजूद था कि सूचना मिली कि 29/30-08.2020 की रात ग्राम खुटहना में चोरी हुयी मु०अ०स०-635/2020 धारा 380 भादवि के अभियुक्तगण चोरी गयी माल सहित बन्दुवारी ग्राम के बाहर जमुरा नालाके पास आपस में समान/आभूषण बाट रहे हैं, जल्दीबाजी करने पर माल व मुल्जिमान पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर विश्वास करके हमराह कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए मुखबीर को साथ लेकर बन्दुवारी जमुरा नाला के पास वाली बगीचे के बाहर पहुचा गया मुखबीर खास के इशारेपर आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गयापकडे गये ब्यक्तियों का नाम पता पूछने पर जामा तलाशी लिया गया तो एक ने अपना नाम बितानू पुत्र शिवचरण निवासी खुटहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर व दूसरे ने अपना नाम विक्की पुत्र सुवारे निवासी खुटहना थाना खजनी गोरखपुर बताया। जिनके पास से नाक कि नथिया पीली धातु/ लाकेट पीली धातु करधन सफेद धातु कुल 2250 रु० नगद , जमीन रजिस्ट्ररी कागजात काला बक्सा बरामद हुआ। जिनको दिनांक 01.09.2020 को रात्रि में समय 22.15 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुशार लिया गया।

गिरफ्तार किए गये अभि०-

1. बितानू पुत्र शिवचरण निवासी खुटहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर उम्र 30 वर्ष
 2. विक्की पुत्र सुवारे निवासी खुटहना थाना खजनी गोरखपुर उम्र 22 वर्ष
- सम्बन्धित मु०अ०स०-635/2020 धारा 380 भादवि

बरामदगी -

1. नाक कि नथिया पीली धातु
2. लाकेट पीली धातु
03. करधन सफेद धातु
04. कुल 2250 रु० नगद ,
05. जमीन रजिस्ट्ररी कागजात व काला बक्सा

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ०नि० अनीश कुमार सिंह
2. का० संजय सिंह
3. का० अजय कुमार सिंह
4. का० कृष्ण कुमार गौड